रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 286] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 27, 1971/वैशाख 7, 1893
No. 286] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 27, 1971/VAISAKHA 7, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

ORDER

New Delhi, the 27th April 1971

S.O. 1755.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Commerce No. S.O. 1401, dated the 5th May, 1966, the management of the whole of the industrial undertaking known as Sri Bharathi Mills Ltd., Pondicherry, had been taken over by the Authorised Controller referred to in the Order mentioned above for a period upto and including the 4th May, 1971:

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said industrial undertaking by the said Authorised Controller should continue for a further period of one year upto and including the 4th May, 1972;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of Section 18-A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the Order first mentioned above shall continue to have effect for a further period upto and including the 4th May, 1972.

[No. F.11021/27/71-TEX(G).]
B. D. KUMAR, Jt. Secy.

विदेशी व्यापार मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1971

का० आ० 1755.—यतः भारत सरकार के भतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 1401, दिनांक 5 मई 1966 द्वारा श्री भारती मिल्स लि०, पांडिचेरी नामक सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध, उपरोक्त आदेश में निर्दिष्ट, प्राधिकृत नियन्त्रक द्वारा 4 मई, 1971 तक के लिये, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, ग्रहण कर लिया गया था ;

और यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त प्राधिकृत नियन्त्रक के अधीन उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध 4 मई, 1972 तक एक वर्ष के लिये, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, की अवधि के लिये बना रहना चाहिए ;

अतः, अब, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18ए की उप-धारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा निदेश देती है कि उपरिवर्णित आदेश का प्रभाव 4 मई, 1972 तक जिसमें यह तारीख भी शामिल है, की अवधि के लिये और बना रहेगा ।

[सं० फा० 11021/27/71—टैक्स (जी).]

बी० डी० कुमार, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971